क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना–800001.

फोन नं0–0612–2522362, फैक्स नं0–0612–2533314, ई–मेल – rd-bihar@esic.in

सुविधा समागम की बैठक का कार्यवृत्त

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में सुविधा समागम का आयोजन दिनांक **13.06.2018** को अपराह्न **3.00** बजे क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन स्थित सभा–कक्ष में संपन्न हुआ, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण/अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

क्र0	नाम एवं पदनाम	
1.	श्री अरविन्द कुमार, अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ0 अरुण कुमार शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना	सदस्य
3.	डॉ0 अनीश सिंघल, चिकित्सा अधीक्षक कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहटा	सदस्य
4.	डॉ0 सियाराम शर्मा, माननीय सदस्य, क्षेत्रीय परिषद् एवं कर्मचारी प्रतिनिधि	सदस्य
5.	डॉ0 अविनाश कुमार, राज्य चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	सदस्य
6.	डॉ0 संतोष कुमार, चिकित्सा निर्देशी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	सह सदस्य
7.	डॉ0 मुकेश कुमार मोदी, चिकित्सा सतर्कता अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	सह सदस्य
8.	श्री जयंत कुमार, सहायक निदेशक (हितलाभ)	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यगण, आमंत्रितों एवं उपस्थित बीमित व्यक्तियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् इस बैठक में उपस्थित बीमित व्यक्तियों की शिकायतों पर एक–एक करके निम्नानुसार विचार/निर्णय किया गया :–

क्र सं.	बीमित व्यक्ति का नाम, बीमांक व मोबाइल नंबर	संबंधित औषधालय/अस्पताल/कार्यालय	शिकायत/सुझाव	संबंधित कार्यालय/शाखा एवं निदान	अनुपालन संबंधित कार्यालय / शाखा
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती श्वेता प्रकाश, बीमा सं0 – 4215190215 मोबाइल नं0– 9431492432	फुलवारीशरीफ	बीमित महिला के पति श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव की शिकायत थी कि उनका एक बिल फुलवारीशरीफ डिस्पेंसरी में एक साल पहले का जमा किया हुआ है, जो लंबित है।	सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद उन्हें स्पष्ट किया गया कि फुलवारीशरीफ डिस्पेंसरी आदर्श अस्पताल में समाहित होने के बाद वहां पर बिल की जांच आदि कौन करेंगे, इसपर स्पष्टता की कमी थी, जो कुछ ही माह पूर्व दूर हो गयी है और वर्तमान में वहां से बिल जांच होकर क्षेत्रीय कार्यालय में आ रहे हैं तथा पास किये जा रहे हैं। अतः उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनका बिल भी शीघ्र ही पास कर शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा।	शाखाधिकारी, हितलाभ चिकित्सा शाखा से बात कर इसे पूरा करवाएंगे।
2	श्री मुकेश सिंह बीमा सं0 – 4201438713 मोबाइल नं0– 8651701307	फुलवारीशरीफ	शिकायतकर्ता श्री मुकेश सिंह के पिता श्री रामपुकार सिंह की शिकायत थी कि उन्हें IGIMS में इलाज के लिए 40,000/– रुपये अग्रिम दिया गया था, परंतु उनके कुल 99,680/– रुपये के बिल बने, जिसमें दिये गये अग्रिम से करीब 24,355/– रुपये के खर्च चार्ज किये बिना उन्हें बिल आदि दिये गये। इस प्रकार ई.एस.आई.सी. के करीब 11–12 हजार रुपये उनके पास अभी भी पड़े हुए हैं व इनके जेब से करीब 75,000/– रुपये खर्च हो गये जो मुख्यतः दवाइयों की खरीद पर खर्च हुए हैं और इनका क्लेम इन्होंने ई.एस.आई.सी. में जमा किया है। इनका अनुरोध है कि इनके जो भी खर्च हुए हैं, उसकी	सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद निर्णय हुआ कि बीमित व्यक्ति के क्लेम से IGIMS को जो पैसे दिये गये हैं, वह घटाकर उनके शेष खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाए तथा IGIMS के पास जो रकम रह गये हैं, उसे IGIMS को वापस करने हेतु कहा जाए व इसपर उचित कार्रवाई की जाए।	चिकित्सा शाखा

			प्रतिपूर्ति करायी जाय।		
3.	श्री रवीन्द्र पासवान बीमा सं0 — 4201178814 मोबाइल नं0— 9304340843	दीघा	बीमित व्यक्ति श्री रवीन्द्र पासवान ने बताया कि वे संत डोमिनिक सेवियोज स्कूल में बस चलाने का कार्य करते थे और 11/06/2015 को स्कूल बस स्कूल में खड़ा करके घर जाते वक्त रास्ते में लकवा मार गया तथा तब से वे इलाजरत हैं। उनकी शिकायत है कि उन्हें डिस्पेंसरी के डॉक्टर छुट्टी देने से इनकार कर रहे हैं और सिर्फ तीन महीने की छुट्टी का वेतन ई.एस. आई.सी. कार्यालय से मिला है।	सुविधा समागम में शिकायत पर विस्तृत चर्चा के बाद यह प्रतीत होता पाया गया कि इस केस में बीमित व्यक्ति जून, 2015 से इलाजरत है और इन्हें समय—समय पर रेस्ट/छुट्टी के लिए प्रमाण पत्र लेकर बीमारी हितलाभ का दावा करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया। ऐसी स्थिति में यह निर्णय हुआ कि इनकी जांच चिकित्सा निर्देशी या मेडिकल बोर्ड द्वारा करायी जाए और इनको जो भी विस्तारित बीमारी हितलाभ की पात्रता बनती है, उसके हिसाब से इन्हें भुगतान की प्रकिया चलायी जाए। इस प्रयोजन हेतु आवश्यकता पड़ने पर शाखाधिकारी, हितलाभ इस प्रकरण की जांच कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।	शाखाधिकारी, हितलाभ शाखा
4.	श्री विजय कुमार झा बीमा सं0 — 421411702 मोबाइल नं0— 9905823978	फुलवारीशरीफ	बीमित व्यक्ति श्री विजय कुमार झा का अपनी पत्नी की इलाज से संबंधित प्रतिपूर्ति दावा 21/11/2017 को फुलवारीशरीफ औषधालय में जमा किया था, जो अब तक भुगतान नहीं मिला है।	सुविधा समागम में चर्चा के बाद यह ज्ञात हुआ कि इनका बिल नन—पैकेज बिल प्रतीत होता है और लिवर की बीमारी से संबंधित है। निर्णय हुआ कि उक्त बिल के बारे में पता कर फुलवारीशरीफ औषधालय से शीघ्र मंगवाया जाए एवं शीघ्र भुगतान किया जाए।	चिकित्सा शाखा
5.	श्री श्रीकांत सिंह बीमा सं0 — 4215109868 मोबाइल नं0— 8252030845	कृष्णानगर	बीमित व्यक्ति श्री श्रीकांत जी का आई.वी.एफ. से संबंधित मांग लंबे समय से पड़ा हुआ है, जिसपर उन्होंने अद्यतन जानकारी चाहा है।	सुविधा समागम में चर्चा के दौरान उन्हें बताया गया कि इंदिरा आई.वी.एफ. के साथ टाई—अप किये जा रहे हैं। उन्हें इसकी अद्यतन जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि इंदिरा आई.वी.एफ. करीब—करीब बातचीत में तय किये गये शर्तों पर टाई—अप के लिए तैयार है। यह भी बताया गया कि क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इंदिरा आई. वी.एफ. के निदेशक से नई दिल्ली में मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और वहां उन्हें सी.जी.एच.एस. दर पर टाई—अप के लिए मनाने का प्रयास करेंगे, तत्पश्चात् शीघ्र ही टाई—अप कर लिया जाएगा।	चिकित्सा खंड
6.	श्री उपेन्द्र कुमार बीमा सं0 — 4215258974	कंकड़बाग	बीमित व्यक्ति श्री उपेन्द्र कुमार की शिकायत थी कि इनका बिल ई.एस. आई.डिस्पेंसरी, कंकड़बाग से 18/05/2017 को निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, बिहार सरकार को भेजा गया था। इनका कहना है कि	सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद निर्णय हुआ कि इनका बिल चिकित्सा शाखा द्वारा ढूंढे जाएं और न मिलने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के पास बिल की जो छायाप्रति है, उससे एक एफिडेविट के साथ जमा कराएं, जिसपर	चिकित्सा शाखा

	मोबाइल नं0– 6203372909		इनका बिल ई.एस.आई.सी. में डायरी संख्या 91, दिनांक 06/06/2017 को प्राप्त हुआ, परंतु खो गया, जिसके कारण भुगतान लंबित है।	भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।	
7.	श्री वीरेन्द्र कुमार विक्रम बीमा सं0 – 4201246420 मोबाइल नं0– 9934965517	फुलवारीशरीफ	बीमित व्यक्ति श्री वीरेन्द्र कुमार विक्रम जी ने आई.वी.एफ. की सुविधा न होने की शिकायत की।	ऊपर वर्णित कम संख्या 5 पर वर्णित के अनुसार इन्हें भी जानकारी दी गयी।	चिकित्सा शाखा
8.	श्री दिनेश कुमार शर्मा, बीमा सं0 – 4200066182 मोबाइल नं0– 9534586951	मुंगेर	बीमित व्यक्ति श्री दिनेश कुमार शर्मा जी की शिकायत थी कि उन्होंने वर्ष 2011 में दो बिल भुगतान हेतु जमा किया था जो इमरजेंसी चिकित्सा से संबंधित था। उन्होंने बताया कि उनमें से एक ही बिल का भुगतान 29/03/2017 को 7019/– रुपये मात्र हुआ है और दूसरा अभी तक लंबित है।	सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद यह निर्णय हुआ कि उप निदेशक, चिकित्सा शाखा वित एवं लेखा शाखा से इनके एक बिल का भुगतान हुए बिल को निकलवाकर पुनः जांच करेंगे और देखेंगे कि कहीं भुगतान किये गये बिल के साथ दूसरा बिल गलती से लगा तो नहीं रह गया है। साथ ही, यह भी निर्णय हुआ कि जो अभी बचे हुए बिल है, उसमें भी खोजेंगे।	उप निदेशक, चिकित्सा शाखा
9.	श्री प्रभाकर पाठक बीमा सं0 – 4215172116 मोबाइल नं0– 8540844206	श्रीकृष्णा नगर	बीमित व्यक्ति श्री प्रभाकर पाठक का शिकायत था कि इन्होंने आदर्श अस्पताल से रेफर कराकर IGIMS में ऑपरेशन करवाया, परंतु वहां उनसे ऑपरेशन का पैसा ले लिया गया। इनका आगे कहना है कि IGIMS के बिल के साथ उन्होंने दावा जमाल रोड डिस्पेंसरी में जमा किया था जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में भेजा गया था और जहां 19/09/2016 को रजिस्टर में चढ़ा हुआ है, परंतु अभी तक उन्हें भुगतान नहीं मिला है। अतः बीमित व्यक्ति शपथ–पत्र के साथ बिल की छायाप्रति जमा कर प्रतिपूर्ति प्राप्त करना चाहते हैं।	सुविधा समागम में परिचर्चा के उपरान्त यह निर्णय हुआ कि चूंकि यह मामला क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल द्वारा IGIMS में रेफर किये जाने का है। अतः सर्वप्रथम इसपर इनका भुगतान आदर्श अस्पताल द्वारा IGIMS को नहीं किया गया है, इसकी संपुष्टि करायी जाए। आदर्श अस्पताल द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में इनके एफिडेविट के साथ जमा किये गये प्रतिपूर्ति दावे की जांच कर भुगतान की कार्रवाई की जाए।	चिकित्सा अधीक्षक व चिकित्सा शाखा
10	श्री कृष्णा महाराज बीमा सं0 – 4215558682 मोबाइल नं0– 75497528517	फुलवारीशरीफ	श्री ब्रजेश कुमार जो बीमित व्यक्ति श्री कृष्णा महाराज के पुत्र हैं, ने बताया कि उनके पिताजी आदित्य विजन, बेली रोड, पटना – 1 में आठ साल से लगातार गार्ड का काम कर रहे थे। दिनांक 11/11/2017 को जब वे मध्य रात्रि में ड्यूटी पर थे, उन्हें अचानक बहुत ठंड लगी और वे गिर गये।	सुविधा समागम में चिकित्सा अधीक्षक, आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ ने भी केस को देखा और सर्वप्रथम उन्होंने आश्वस्त किया कि मरीज को अस्पताल में लाया जाए, ताकि चिकित्सा की जाएगी और दवा भी दी जाएगी, तब तक उनकी पात्रता होगी। तत्पश्चात् उन्हें सलाह दी गयी कि जो दवा लिखी गयी थी और उन्होंने खरीदा है, वे	चिकित्सा अधीक्षक, आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ व हितलाभ शाखा

			उस हालत में वहां के लोगों ने उन्हें न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में ले जाकर चिकित्सा कराया और फिर वहां से PMCH ले गये और पांच दिन बाद उन्हें फुलवारीशरीफ आदर्श अस्पताल ले गये। इनका कहना है कि फुलवारीशरीफ में अभी तक उनका इलाज चल रहा है, परंतु वहां से कुछ दवाएं नहीं मिल रही हैं, जिनका वे प्रतिपूर्ति चाहते हैं।	क्लेम फुलवारीशरीफ में जमा करेंगे। कागजात की जांच करने से पता चला कि उक्त बीमित व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कंपनी द्वारा 30/01/2017 को किया गया है, जबकि बीमित व्यक्ति आठ साल पहले से ही वहां पर कार्य कर रहे थे। अतः यह अंडरकंप्लाइन्स का मामला भी बनता है, जिसके लिए CAIU को मामले को रेफर कर निरीक्षण करवाया जाए। साथ ही, नियोजक को हितलाभ शाखा से सूचित किया जाए कि बीमित व्यक्ति जब आघात से पीड़ित हुए उस समय यह ड्युटी पर थे। यह मामला रोजगार चोट से संबंधित लगता है जो कि जांच का विषय है। इसपर निर्णय लिया गया कि हितलाभ शाखा द्वारा नियोक्ता को पत्र लिखकर दुर्घटना रिपोर्ट संबंधित शाखा कार्यालय में जमा करने हेतु पत्र लिखेंगे तथा शाखा प्रबंधक की जांच के उपरांत तद्नुसार कार्रवाई करेंगे।	
11	श्री मिथिलेश कुमार सिंह बीमा सं0 — 4215183168 मोबाइल नं0— 7870659698	फुलवारीशरीफ	बीमित व्यक्ति श्री मिथिलेश कुमार सिंह की शिकायत थी कि उनकी पत्नी के इलाज का बिल, जो ऑपरेशन तथा बच्चे का इलाज आर. एन. मेमोरियल अस्पताल, आरा में हुआ था, जो कि एक टाई—अप अस्पताल है, जहां उनसे इलाज के एवज में पैसे चार्ज किये गये। फिर उन्होंने बिल भरकर उसी अस्पताल में जमा किया। परंतु उनका कहना है कि अभी तक प्रतिपूर्ति का पैसा उन्हें नहीं मिला है।	सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद निर्णय हुआ कि चिकित्सा सतर्कता शाखा इसकी जांच करेंगे और बिल/दावे इत्यादि की क्या स्थिति है, इन्हें प्रकाश में लाएंगे। साथ ही, टाई—अप अस्पताल में पोस्ट—फैक्टो रेफरल क्यों नहीं प्राप्त किया, इसपर भी अनुसंधान कर एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे।	चिकित्सा सतर्कता अधिकारी

अंत में, अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों, अधिकारियों एवं उपस्थित बीमित व्यक्तियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(जयंत कुमार)
सहायक निदेशक (हितलाभ) सह
सदस्य सचिव, सुविधा समागम

प्रति :

1. श्रीमती श्वेता प्रकाश, पति – श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, मगध कोलनी, कुर्जी, पटना – 800010.
2. श्री मुकेश सिंह, पिता – श्री राम पुकार सिंह, ग्राम + पोस्ट – फतेहपुर, पटना।
3. श्री रवीन्द्र पासवान, बांसकोठी, जंगली पीर, दीघा, गेट नं0 – 97, पटना – 800011.
4. श्री विजय कुमार झा, द्वारा नागेश्वर सिंह, रोड नं0 – 1, नियर–नूतन चेतन स्कूल गली, राजपुताना, पटना।
5. श्री श्रीकांत सिंह, एस0 आई0 एस0 सिक्युरिटी कंपनी, पटना।
6. श्री उपेन्द्र कुमार, साकेत विहार, मित्रमंडल कॉलनी, अनिसाबाद, पटना–2.
7. श्री वीरेन्द्र कुमार विक्रम, आई. सी. ए. आर., आर. सी. ई. आर., पटना – 14.
8. श्री दिनेश कुमार शर्मा, मोगल बाजार, धर्मनारायण रोड, वासुदेवपुर, मुंगेर, पिन – 811202.
9. श्री प्रभाकर पाठक, मो0 – चांदपुर बेला, दोपुलवा, आजाद लेन, पोस्ट – जी पी ओ, पटना–800001.
10. श्री कृष्णा महाराज, ग्राम – जुनियार, पोस्ट – जुनियार, थाना – हिलसा, जिला – नालंदा, पिन–801301
11. श्री मिथिलेश कुमार सिंह, ग्राम – नवादा वेन, पोस्ट – नवादा वेन, जिला – भोजपुर, आरा.